प्रेस नोट, दिनाँक 15.05.2025

> थाना कुवरगांव पुलिस की कार्यवाही में बदायूँ पुलिस को मिली महत्पूर्ण सफलता।

> थाना कुवरगांव में सेल्समैन की हत्या करने वाले अभियुक्तगण को 24 घण्टें के अन्दर पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।

> पुलिस मुठभेड में एक आरक्षी भी घायल।

> पुलिस मुठभेड़ में घायल आरक्षी व 03 अभियुक्तगण को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।

दिनांक 13.05.2025 को थाना कुवरगांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दुगरैया में देशी शराब के ठेके के सेल्समैन मुकेश यादव पुत्र महेशपाल निवासी रंझौरा थाना बिनावर की हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 14.05.2025 को थाना कुवरगांव पर तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 84/2025 धारा 103/61(1) बी0एन0एस बनाम पंकज खुराना आदि पंजीकृत कर अभियुक्तगण की तलाश हेतु पुलिस टीमों को लगाया गया था। आज दिनाँक 15.05.2025 को पुलिस टीमों को इलैक्ट्रानिक सर्विलांस एवं मुखबिर तंत्र से सेल्समैन की हत्या कारित करने वाले प्रकाश में आये अभियुक्तगण के सम्बन्ध में महत्तवपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कुवरगांव पुलिस द्वारा थाना कुवरगांव क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड के किनारे ग्राम चकोलर मोड की तरफ संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को चेकिंग के लिये रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल मोड़ कर भागने का प्रयास करने लगे ग्राम बनकोटा मोड की तरफ मोटर साइकिल अनियन्त्रित होकर फिसल गयी और पुलिस पर फायरिंग कर दी जिस क्रम में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिसमें अभियुक्त मोहित पुत्र राजकुमार नि0 कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ के दाहिने पैर की पिंडली में गोली लगी तथा दूसरे अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र कुंवरसैन नि0 ग्राम रामताल थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज हाल निवासी कृष्णा कालोनी थाना उझानी जनपद बदायूँ के दोनों पैर में गोली लगी है। तीसरा अभियुक्त इरफान पुत्र इस्तकार नि0 कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 अवैध 315 बोर के तमंचे व 03 जिंदा कारतूस व 03 खोखा कारतूस तथा एक मोटर साईकिल (KTM) रंग काला बरामद हुई है। मुठभेड में बदमाशों की गोली से आरक्षी 1917 अनुज कुमार भी घायल हुआ है। घायल आरक्षी व घायल अभियुक्तगण को पुलिस सुरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल बदायूँ में भर्ती कराया गया है।

विवरण पूछताछ – पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्तगणो से पूछताछ करने पर बताया कि हमें पैसे की आवश्यकता थी तथा हमें जानकारी मिली कि ग्राम दुगरैया देशी शराब के ठेके पर बिक्री बहुत होती है ठेके पर करीब 07 लाख रूपये इकट्ठा है। हमने ठेके को लूटने की योजना बनाकर मोहित पुत्र राजकुमार नि0 कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ। 2. श्याम सिंह पुत्र कुंवरसैन नि0 ग्राम रामताल थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज हाल निवासी कृष्णा कालोनी थाना उझानी जनपद बदायूँ। 3. इरफान पुत्र इस्तकार नि0 कस्बा व थाना कादरचौक

जनपद बदायूँ। 4. बिहारी (जो श्याम सिंह के मकान उझानी में किराये पर रहता है) द्वारा दिनाँक 13.05.2025 को समय रात्रि 09.30 बजे आये। सेल्समैन ठेके पर मौजूद था हमने सेल्समैन को तमंचा दिखाकर गल्ले मे रखे रूपये लूटने लगे कि सैल्समैन द्वारा विरोध किया गया तो हमने सेल्समैन को गोली मार दी और गल्ले में रखे 27,000 रूपये लूटकर भाग गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मोहित पुत्र राजकुमार नि0 कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ।

2. श्याम सिंह पुत्र कुंवरसैन नि0 ग्राम रामताल थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज हाल निवासी कृष्णा कालोनी थाना उझानी जनपद बदायूँ।

3. इरफान पुत्र इस्तकार नि0 कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ।

वांछित अभियुक्त

1. बिहारी (जो श्याम सिंह के मकान उझानी में किराये पर रहता है)

घटनास्थल पुलिस मुठभेड़

दिनांक 15.05.2025 को गंगा एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड के किनारे ग्राम चकोलर मोड

विवरण बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक अदद KTM मोटरसाइकिल , कुल 7400 रूपये व 3 अदद तमंचे 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः-

1. मोहित पुत्र राजकुमार नि0 कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 19 वर्ष जाति हिन्दु नाई।

1. मु0अ0सं0 084/25 धारा 103(1)/61(2)/309(6)/317(2) बीएनएस थाना कुंवरगाँव बदायूँ।

2. मु0अ0सं0 085/25 धारा 109 बी0एन0एस0 (पुलिस मुठभेड) व 3/25(1-B)(a)/27 आर्म्स एक्ट थाना कुंवरगाँव बदायूँ।

2. श्याम सिंह पुत्र कुंवरसैन नि0 ग्राम रामताल थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज हाल निवासी कृष्णा कालोनी थाना उझानी जनपद बदायूँ उम्र करीब 24 वर्ष जाति कश्यप।

1. मु0अ0सं0 084/25 धारा 103(1)/61(2)/309(6)/317(2) बीएनएस थाना कुंवरगाँव बदायूँ।

2. मु0अ0सं0 085/25 धारा 109 बी0एन0एस0 (पुलिस मुठभेड) व 3/25(1-B)(a)/27 आर्म्स एक्ट थाना कुंवरगाँव बदायूँ।

3. मु0अ0सं0 426/23 धारा 8/15 NDPS एक्ट थाना कादरचौक बदायूँ।

4. मु0अ0सं0 691/22 धारा 379 भादवि थाना उझानी बदायूँ।

3. इरफान पुत्र इस्तकार नि0 कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 19 वर्ष जाति सैफी मुस्लिम।

1. मु0अ0सं0 084/25 धारा 103(1)/61(2)/309(6)/317(2) बीएनएस थाना कुंवरगाँव बदायूँ।

2. मु0अ0सं0 085/25 धारा 109 बी0एन0एस0 (पुलिस मुठभेड) व 3/25(1-B)(a)/27 आर्म्स एक्ट थाना कुंवरगाँव बदायूँ।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के नामः-

प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार थाना कुवरगांव मय एस.ओ.जी / सर्विलान्स पुलिस टीम मय थाना पुलिस बल।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह द्वारा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रूपये की नगद धनराशि से पुरूष्कृत किया गया है।

मीडिया सेल,जनपद बदायूँ।